निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 24 / 06 / 2022

प्रकरण संख्या 144 / दावा / 19

तारीख दायरा 20.12.2019

उनवान

1. रमेश चन्द पिता उदालाल जाति रेदास निवासी दांगीपुरा तहसील मनोहरथाना

–वादी

बनाम

1. प्रेमलाल पिता रतन लाल जाति रेदास निवासी दांगीपुरा तहसील मनोहरथाना

– प्रतिवादी

वाद धारा 183 आर.टी.एक्ट

निर्णय

उपस्थित वकील वादी –श्री कैलाश चन्द वैष्णव

दिनांक 24.06.2022

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राज0टी0एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि यह कि ग्राम दांगीपुरा पटवार हल्का दांगीपुरा तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 240 पुरानी 220 की खसरा नम्बर क्रम I: 134 की 3 बीघा 3 बिस्वा, 140 की 2 बीघा 7 बिस्वा, 141 की 1 बीघा 5 बिस्वा, 142 की 8 बीघा 1 बिस्वा, 167 की 2 बीघा 7 बिस्वा, 168 की 3 बीघा 8 बिस्वा, 169 की 9 बीघा 17 बिस्वा, 264 की 3 बीघा 14 बिस्वा, 265 की 17 बिस्वा, 266 की 2 बिस्वा, 268 की 7 बिस्वा, 269 की 14 बिस्वा, 583 की 1 बीघा 3 बिस्वा, 584 की 2 बीघा 7 बिस्वा, 587 की 2 बिस्वा, कुल 16 किता की 40 बीघा 1 बिस्वा आराजी वादी एवं अन्य सह खातेदारान के शामिल खाते की दर्ज है वर्णित आराजी मे वादी के हिस्से की खसरा नम्बर 168 की 3 बीघा 8 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादी ने जबरन बलपूर्वक नाजायज रूप से अर्सा 1 साल पूर्व जबरन कब्जा कर लिया है जो बेदखल होने योग्य है वर्णित आराजी के खसरा नम्बर 168 की 3 बीघा 8 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादी ने जबरन बलपूर्वक नाजायज रूप से जबरन कब्जा कर लिया है जो बेदखल होने योग्य है प्रतिवादी का उक्त आराजी पर कोई हक एवं अधिकार नही है ओर ना ही उक्त आराजी का जमाबन्दी में नाम है फिर भी प्रतिवादी ने जबरन कब्जा कर रखा है। वर्णित आराजी के खसरा नम्बर 168 की 3 बीघा 8 बिस्वा आराजी पर से कब्जा हटाने बाबत वादी ने प्रतिवादी से कई बार कहा परन्तु प्रतिवादी द्वारा कोई सुनवाई नही की अन्तिम बार दिनांक 15.10.2019 को वादी ने प्रतिवादी से कब्जा हटाने बाबत कहा तो प्रतिवादी ने कब्जा छोडने से साफ इन्कार हो जाने से वाद हेतु उत्पन्न हुआ हैं अतः प्रतिवादी को उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे। इस आशय बाबत वाद डिक्री किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी की ओर से वकील श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत किया गया किन्तु

वकील प्रतिवादी को समुचित अवसर दिये जाने के वाद भी जवाव प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब प्रतिवादी बन्द किया गया। वकील वादी की वहस सुनी गई। वकील वादी का कथन है कि ग्राम दांगीपुरा पटवार हल्का दांगीपुरा तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 240 पुरानी 220 की खसरा नम्बर क्रमशः 134 की 3 वीघा 3 विस्वा, 140 की 2 वीघा 7 विस्वा, 141 की 1 वीघा 5 विस्वा, 142 की 8 वीघा 1 विस्वा, 167 की 2 वीघा 7 विस्वा, 168 की 3 वीघा 8 विस्वा, 169 की 9 वीघा 17 विस्वा, 264 की 3 वीघा 14 विस्वा, 265 की 17 विस्वा, 266 की 2 विस्वा, 268 की 7 विस्वा, 269 की 14 विस्वा, 583 की 1 वीघा 3 विस्वा, 584 की 2 वीघा 7 विस्वा, 587 की 2 विस्वा, कुल 16 किता की 40 वीघा 1 विस्वा आराजी वादी एवं अन्य सह खातेदारान के शामिल खाते की दर्ज है वर्णित आराजी मे वादी के हिस्से की खसरा नम्बर 168 की 3 वीघा 8 विस्वा आराजी पर प्रतिवादी ने जवरन वलपूर्वक नाजायज रूप से अर्सा 1 साल पूर्व जवरन कब्जा कर लिया है अतः प्रतिवादी को उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया वर्णित आराजी वादी की खातेदारी आराजी है जिस पर प्रतिवादीगण का कब्जा वहैसियत है। वाद के प्रमाण मे प्रस्तुत नकल जमावन्दी ग्राम दांगीपुरा संवत 2072 से 2075 की खाता संख्या नया 240 पुराना 220 के अवलोकन से वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम दांगीपुरा पटवार हल्का दांगीपुरा तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 240 पुरानी 220 की खसरा नम्बर क्रम ाः 134 की 3 बीघा 3 बिस्वा, 140 की 2 वीघा 7 बिस्वा, 141 की 1 बीघा 5 बिस्वा, 142 की 8 बीघा 1 बिस्वा, 167 की 2 वीघा 7 बिस्वा, 168 की 3 बीघा 8 बिस्वा, 169 की 9 बीघा 17 बिस्वा, 264 की 3 बीघा 14 बिस्वा, 265 की 17 बिस्वा, 266 की 2 बिस्वा, 268 की 7 बिस्वा, 269 की 14 बिस्वा, 583 की 1 बीघा 3 बिस्वा, 584 की 2 बीघा 7 बिस्वा, 587 की 2 बिस्वा, कुल 16 किता की 40 बीघा 1 बिस्वा मे से खसरा नम्बर 168 की 3 बीघा 8 बिस्वा आराजी पर से प्रतिवादी को बेदखल किया जावे। डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 सरे इजलास टंकण करवाया जाकर सुनवाया गया।

(श्री [illegible] आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना

डिकी मुकद्मात इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 24 / 06 / 2022

प्रकरण संख्या 144 / दावा / 19

तारीख दायरा 20.12.2019

उनवान

रमेश चन्द पिता उदालाल जाति रेदास निवासी दांगीपुरा तहसील मनोहरथाना

–वादी

बनाम

प्रेमलाल पिता रतन लाल जाति रेदास निवासी दांगीपुरा तहसील मनोहरथाना

– प्रतिवादी

वाद धारा 183 राज0टी0एक्ट

आज यह मुकद्मा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ **अभिषेक चारण** (आर0ए0एस0) बहाजरी वकील वादी श्री कैलाश चन्द वैष्णव मिन जानिब मुद्दालय -------- ने पेश होकर आदेश दिया जाता है कि:–

ग्राम दांगीपुरा पटवार हल्का दांगीपुरा तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 240 पुरानी 220 की खसरा नम्बर क्रम I: 134 की 3 बीघा 3 बिस्वा, 140 की 2 बीघा 7 बिस्वा, 141 की 1 बीघा 5 बिस्वा, 142 की 8 बीघा 1 बिस्वा, 167 की 2 बीघा 7 बिस्वा, 168 की 3 बीघा 8 बिस्वा, 169 की 9 बीघा 17 बिस्वा, 264 की 3 बीघा 14 बिस्वा, 265 की 17 बिस्वा, 266 की 2 बिस्वा, 268 की 7 बिस्वा, 269 की 14 बिस्वा, 583 की 1 बीघा 3 बिस्वा, 584 की 2 बीघा 7 बिस्वा, 587 की 2 बिस्वा, कुल 16 किता की 40 बीघा 1 बिस्वा मे से खसरा नम्बर 168 की 3 बीघा 8 बिस्वा आराजी पर से प्रतिवादी को बेदखल किया जावे।

आज दिनांक 24.06.2022 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांक से जारी कि गई।

(श्री अभिषेक चारण आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़